3-1-20 पत्रावली पेश हुई वादी अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार रुक रुककर आवाज लगवाई गई किन्तु वादी/प्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है तथा प्रकरण में पैरवी नहीं करना चाहते है।

अतः पैरवी के अभाव में तथा प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुदा दाखिल दफ्तर हो। Manju

उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested